L.N.393-W/M- / Instruction / 0/Vol–III Date 29/02/2024

मंडल कार्यालय आदेश 07/2024

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक
एवं मुख्य क्रू नियंत्रक, जोधपुर एवं मेड़तारोड
समस्त लोकोपायलट, लोकोपायलट शंटर एवम सहायक लोकोपायलट

विषय :- लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर तथा स्टेशन कर्मचारियों के बीच संकेत का आदान-प्रदान :-

सन्दर्भ – मंडल में दिनांक 26/02/2024 गाडी संख्या 15631(JU-JP) संचालन के दौरान ब्लाक सेक्शन DNA-GCH में ACP होने के बाद सहायक लोको पायलट द्वारा रिसेट करने के बाद लोको पायलट ने ट्रेन रवाना की फिर अगले स्टेशन GCH ने लोको पायलट को बताया कि आपके गाड़ी में ट्रेन मेनेजर नही है वह ब्लाक सेक्शन में रह गये है |

इस सम्बन्ध में सभी मुख्य लोको निरीक्षको को निर्देश दिए जाते है कि व अपने नामित व अन्य रनिंग स्टाफ को निम्न बिन्दुओ पर काउन्सलिंग करे तथा फुटप्लेट व् अम्बुश जाँच के दौरान नियमनुसार सिगनल का आदान -प्रदान (एक्सचेंज) होना सुनिश्चित करे तथा रिपोर्ट 30.03.24 को मंडल कार्यालय में जमा करे |

4.42 लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर तथा स्टेशन कर्मचारियों के बीच संकेत का आदान-प्रदान: -

(1) गाड़ी के लोको पायलट तथा ट्रेन मैनेजर एक दूसरे के साथ, ऐसे समयो पर और इस रीति से संकेतो का आदान-प्रदान करेंगे जैसा की विशेष अनुदेशो द्वारा निर्धारित किया जाए

(2) जब गाड़ी बिन रुके स्टेशन से पास हो रही है तो उसके लोको पायलट ट्रेन मैनेजर उन 'आल राईट' सिग्नल को देखेंगे जो स्टेशन मास्टर स्टेशन और स्टेशन के ऐसे अन्य कर्मचारी, जिन्हें विशेष अनुदेशो द्वारा विनिर्दिस्ट किया जाता है, गाड़ी के सुरक्षित और सही रूप में चलने की दशा में देते हैं, तथा विशेष अनुदेशकों के अधीन के सिवाय, उन संकेतों को अभिस्वीकृत करेंगे यदि गाड़ी सुरक्षित और सही रूप से नहीं चल रही है तो स्टेशन मास्टर या अन्य कर्मचारी रोक (स्टॉप) हैण्ड सिगनल दिखाएगा, जिसकी प्राप्ति पर ट्रेन मैनेजर और लोगों को पायलट गाड़ी को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे |

4.42(1)(क) ट्रेन मेनेजर और लोको पायलट के बीच सिग्नल का आदान प्रदान :-ट्रेन मेनेजर निम्नलिखित स्थितियो में लोको पायलट के साथ आल राईट संकेत (सिग्नल) का आदान प्रदान करेगा |

I. जब कोई गाडी रुकने के बाद स्टेशन से रवाना होती है | **II.** जब कोई गाडी स्टेशन सीमा से बाहर रुकने के बाद रवाना होती है |

III. जब ब्रेकयान गति प्रतिबन्ध वाले क्षेत्र से निकलता है |

(ख) संकेतो का आदान प्रदान किया जायेगा :

I. ज्यो ही पिछला ब्रेकयान स्टेशन से बाहर निकल जाए , **II.** ज्यो ही गाडी रवाना हो जाये , और

III. ज्यो ही पिछला ब्रेकयान गति प्रतिबन्ध वाले क्षेत्र से बाहर निकल जाए |

स.नि.4.42(2) संकेत के आदान-प्रदान की विधि-

(क) लोको पायलट को गार्ड का संकेत दिन में स्थिरता से झंडी पकड़ कर और रात तथा धुंध या कोहरे के मौसम में स्थिरता से हरी बत्ती दिखा कर किया जाएगा ।

(ख) लोको पायलट का सिग्नल उसकी ओर से डीजल सहायक या सहायक लोको पायलट या फायरमैन द्वारा दिया जाएगा जो गार्ड को दिन में स्थिरता से हरी झंडी और रात या धुंध या कोहरे के मौसम में स्थिरता से हरी बत्ती दिखाएगा ।

(ग) सीधे मार्ग पर ये संकेत सदा गाड़ी के बाएं और से घुमाव पर उस ओर से जिस ओर से वे भली-भांति देखे जा सके, दिए जाएंगे ।

स.नि.4.42(4) ट्रेन मेनेजर का सिग्नल नहीं मिलने पर लोको पायलट गाड़ी रोक देगा :- यदि लोको पायलट को पिछले ब्रेकयान से 'ऑल राइट' संकेत नहीं मिलता है तो उसे गाड़ी रोक देनी चाहिए ।

स.नि.4.42(6) बिजली और डीजल इंजन के लोको पायलटो तथा स्टेशन कर्मचारियों के बीच संकेतों का आदान-प्रदान -

(क) बिना रुके(रनिंग थ्रू)गुजरते समय डीजल/ बिजली इंजन लोको पायलट को अपने केबिन में अनिवार्य रूप से खड़े होकर सिगनल का आदान-प्रदान करना चाहिए यदि स्टेशन की इमारत उसकी और हो तो उसे स्टेशन मास्टर के साथ संकेत का आदान-प्रदान करना चाहिए यदि स्टेशन की इमारत ऑफ साइड में हो तो ड्यूटी के स्टेशन मास्टर के साथ ऑल राइट संकेत का आदान- प्रदान सहायक लोको पायलट को करना चाहिए ।

(ख) (i) स्टेशन पर बिना रुके गुजरते समय डीजल/ बिजली इंजन के लोको पायलट/ सहायक लोको पायलट को सीटी बजानी चाहिए ।

वरी.मंडल यांत्रिक इंजी.(Enhm&P)
उ.प.रेलवे,जोधपुर

प्रतिलिपि – मंडल रेल प्रबन्धक ,सादर सूचनार्थ
अपर मंडल रेल प्रबन्धक ,सादर सूचनार्थ
वरि.मंडल संरक्षा अधिकारी, सूचनार्थ
स.म.या.इंजी.(शक्ति), सूचनार्थ व् आवश्यक कारवाही हेतु